



# अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार



## तटीय राज्य मात्स्यिकी सम्मेलन 2025 माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने भातूबस्ती में थोक-सह-खुदरा मछली बाजार के निर्माण की वर्चुअल आधारशिला रखी



श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग द्वारा आज मुंबई में आयोजित तटीय राज्य सम्मेलन 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज राज्य मंत्री श्री एस.पी. सिंह बघेल तथा भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन की उपस्थिति में श्री विजय पुरम के भातूबस्ती में थोक-सह-खुदरा मछली बाजार के निर्माण कार्य की आधारशिला पट्टिका का अनावरण किया।

मछली के स्वच्छ प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक ऊंचा मंच, मछली काटने के लिए निर्दिष्ट अलग और विशाल क्षेत्र, स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक अच्छी तरह से कवर की गई जल निकासी प्रणाली और निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ओवरहेड पानी की टंकी शामिल होगी। इसके अतिरिक्त, मछली उत्पादों को संरक्षित करने के लिए पहले से तैयार कोल्ड स्टोरेज यूनिट, एक छोटा प्रशासनिक कार्यालय और शौचालय ब्लॉक जैसी आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। संरचनात्मक समर्थन के लिए एक रिटैनिंग वॉल का निर्माण किया जाएगा और एक मोटर योग्य सड़क विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों के लिए मछली बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करेगी। मछली उत्पादों की ताजगी बनाए रखने के लिए उन्नत शीतलन उपकरण भी लगाए जाएंगे।

कार्यक्रम में मछुआरों, मछली विक्रेताओं, मछुआरिनों, पीआरआई के प्रतिनिधियों और मत्स्य विभाग के अधिकारियों सहित 200 से अधिक हितधारकों की उत्साही और सक्रिय भागीदारी देखी गई। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना लगभग 750 वर्ग मीटर के भूखंड पर विकसित की जाएगी, जिसमें 300 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र होगा। क्षेत्र में मछली और मत्स्य उत्पादों के विपणन और वितरण को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया, प्रस्तावित मछली बाजार स्वच्छता, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। सुविधा की प्रमुख विशेषताओं में

मत्स्य विभाग की प्रेस विज्ञापित में कहा गया है कि पूरा होने पर, मछली बाजार से व्यक्तिगत विक्रेताओं और सहकारी समूहों सहित 80 से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए विपणन स्थान उपलब्ध कराने की उम्मीद है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह आसपास के क्षेत्र में लगभग 40,000 से 45,000 निवासियों की दैनिक जरूरतों को पूरा करेगा, जिससे ताज़ी मछली और मत्स्य उत्पादों तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा, साथ ही स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिलेगा और मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

## माननीय सांसद ने द्वीपों में सुनामी आश्रय आवंटियों को किरायेदारी अधिकार जारी करने का आग्रह किया

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल को लिखित अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें स्थायी सुनामी आश्रय आवंटियों को किरायेदारी अधिकार जारी करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। अनुरोध की एक प्रति भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को भी उनके नम्र अवलोकन और आवश्यक समर्थन के लिए भेजी गई है। अपने पत्र में श्री राय ने कहा है कि 2006 से 2009 के बीच कैम्पबेल बे, लिटिल अण्डमान, सीपीघाट, टेलराबाद, बर्मानाला, कालीकट, छोलदारी, नयाशहर, बम्बूफलाट और अन्य स्थानों पर निर्मित स्थायी सुनामी आश्रय स्थल प्रभावित परिवारों को आवंटित किए गए थे, जिन्होंने 2004 की सुनामी के दौरान जान-माल का भारी नुकसान उठाया था। ये आश्रय स्थल एनजीओ और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से बनाए गए थे। सांसद कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञापित में कहा गया है कि परिवारों को औपचारिक आवंटन आदेशों के माध्यम से आश्रय स्थल आवंटित किए गए थे और वे पिछले 16 वर्षों से पानी और बिजली जैसी उपयोगिता सेवाओं का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन कर रहे हैं, उन्हें मरम्मत या रखरखाव

के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। नतीजतन, इनमें से अधिकांश आश्रय स्थल अब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिनकी छतों, सीलिंग और संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी परेशानी को और बढ़ाने वाली बात यह है कि उनके कब्जे वाली जमीन (प्रति परिवार लगभग 200 वर्ग मीटर) पर किसी भी तरह का लिखित कानूनी हक या किरायेदारी अधिकार नहीं है। औपचारिक किरायेदारी के इस अभाव ने उन्हें बैंक ऋण लेने, विभिन्न सरकारी आवास योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने या स्वतंत्र रूप से मरम्मत और नवीनीकरण कराने के अवसर से वंचित कर दिया है।

अपने पत्र में श्री बिष्णु पद राय ने अनुरोध किया है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन, 1966 और संबंधित नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इन परिवारों को कब्जे वाली जमीनों पर लाइसेंस जारी करने के जरिए किरायेदारी अधिकार दिए जाएं। ऐसे अधिकार दिए जाने से प्रभावित परिवारों को अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने घरों को बनाए रखने और पुनर्निर्माण करने, वित्तीय और सरकारी सहायता प्रणालियों तक पहुंचने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का अधिकार मिलेगा।

## माननीय उप राज्यपाल ने 'डीब्राइट' में दो दिवसीय अण्डमान तथा निकोबार सम्मेलन-एसएएनजीआईटीआई का शुभारम्भ किया



श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल दो दिवसीय अण्डमान तथा निकोबार सम्मेलन, एसएएनजीआईटीआई-2025 (सर्वे ऑफ अण्डमान एंड निकोबार गवर्नमेंस इनीशियेटिव्स फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आइलैंड्स), आज यहां के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) में शुरू हुआ। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी. के जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) ने अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार (आईएसएस), नीति आयोग के अतिथि वक्ताओं, रक्षा एवं नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, पर्यटन हितधारकों एवं अन्य की उपस्थिति में पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर किया। सत्र की शुरुआत पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट के मौन के साथ हुई।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उप राज्यपाल ने कहा कि इस मंच की संकल्पना, विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को शामिल करते हुए खुली चर्चा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की एक महत्वपूर्ण पहल है और इसका वांछित उद्देश्य 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत विजन' को प्राप्त करना है, साथ ही 5 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था की ओर हमारा कदम और इस दिशा में केंद्र शासित प्रदेश का क्या योगदान हो सकता है।

उप राज्यपाल ने टिप्पणी की कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वीप अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को गति देने के लिए प्रमुख योजनाओं सहित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन जीवन की अच्छी गुणवत्ता की परिकल्पना करता है, जिससे 'ईज ऑफ बिजनेस', 'ईज ऑफ लिविंग' पहल, व्यक्तियों के लिए बिजली, पीने योग्य पानी, स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान सुनिश्चित होता है और प्रशासन ने एक जीवंत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज को सक्षम करने के लिए काफ़ी अछूत काम किया है।

मुख्यभूमि भारत के विपरीत, संघ शासित प्रदेश प्रशासन ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है और समय-समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन प्रक्रियाओं में तथा अधिकांश सामाजिक संकेतकों में तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से बेहतर प्रदर्शन किया है तथा राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर रैंकिंग भी प्राप्त की है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश को व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) में "दो नागरिक केंद्रित सुधार क्षेत्रों में शीर्ष उपलब्धि" के रूप में सुविधा प्रदान की गई थी। द्वीपों ने सबसे अधिक नियुक्ति पत्र जारी करके पहले और तीसरे रोजगार में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि दो साल की अवधि में 5000 रिक्त पद भरे गए। इसके अलावा, सभी केंद्र शासित प्रदेशों और देश के राज्यों में, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह देश के पहले स्वच्छ सुजल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले स्थान पर रहा।

उप राज्यपाल ने कहा कि जून, 2017 के महीने में 'द्वीप विकास एजेंसी' की स्थापना के साथ कई परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे हाथ में लिए गए हैं। कई दूरदर्शी और परिवर्तनकारी परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं जिनमें ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), हम्फ्री स्ट्रेट पर पुल, नया एयरपोर्ट

टर्मिनल भवन शामिल हैं। उप राज्यपाल ने आगे बताया कि कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कोडल औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के विभिन्न चरणों में हैं। उप राज्यपाल ने कहा कि द्वीपों को विकसित करने की दृष्टि से, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पिछले कुछ वर्षों से द्वीपों के विकास पथ में पूर्ण बदलाव लाने के लिए कई प्रमुख परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। उप राज्यपाल ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को भारतीय महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख रकूबा डाइविंग गंतव्य के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य सागर के भीतर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रयास करना है। उप राज्यपाल ने विशेष रूप से पहलगाम की घटना के मद्देनजर पर्यटकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया। उप राज्यपाल ने अपने भाषण का समापन यह उल्लेख करते हुए किया कि विचार-विमर्श के परिणाम द्वीप क्षेत्र के समग्र विकास में परिवर्तनकारी बदलाव लाने में मदद करेंगे, इस क्षेत्र की दबावपूर्ण जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और सबसे आशाजनक उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे। उप राज्यपाल ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पर्यटन ऐप भी लॉन्च किया और पर्यटन गतिविधि कैलेंडर जारी किया। उन्होंने सरकारी भवनों में स्थापित 'रूफ टॉप सोलार पावर प्लांट' का भी वर्चुअल उद्घाटन किया और इस अवसर पर 'दक्षता' कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

हमें ही पहल करना होगा, फ़िजूल के खर्च की आदत को बदलना होगा।





